fssai भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

कोविड–19 विश्व महामारी के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य कारोबारों की सहायता में रत

नई दिल्ली, 12 मई, 2020 : कोविड–19 विश्व महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) उद्योग की सहायता के लिए कई कदम उठा रही है। कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में देश के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से क्षेत्रों में अनेक प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। एफ.एस.एस.ए.आई भी उदीयमान चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है।

एफ.एस.एस.ए.आई राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों के साथ खाद्य सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य में उदीयमान प्राथमिकताएँ तय कर रही है। उन्हें जो प्राथमिकताएँ सूचित की गई हैं, उनमें लाइसेंसिंग से संबंधित कार्य को ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र निपटाना; प्रत्येक राज्य में अलग नम्बर और ई–मेल आईडी सहित लाइसेंसिंग हेल्पलाइन आरंभ करना; शिकायत निपटान की सशक्त प्रणाली बनाना; केवल अनिवार्य निरीक्षण करना आदि शामिल हैं। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा राज्य खाद्य प्राधिकारियों को खाद्य कारोबार को आसान बनाने की आवश्यकता के बारे में कड़ा बल देकर कहा गया है।

एफ.एस.एस.ए.आई ने कोविड–19 विश्व महामारी के दौरान खाद्य कारोबारों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश दिए हैं, जो https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Note_COVID_15_04_2020.pdf पर उपलब्ध हैं।

खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस करते हुए एफ.एस.एस.ए.आई ने अपने प्रमुख कार्यक्रम 'खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)' के तहत खाद्यकर्मियों का प्रशिक्षण आरंभ किया है।

प्रशिक्षण के अलावा, झूठी अफवाहों और भ्रांतियों को दूर करने की भी आवश्यकता है। प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे कई दृष्टांत लाए गए हैं, जब प्रशीतित खाद्य, ठंडे/प्रशीतित परोसे जाने वाले खाद्य इत्यादि का इस आधार पर परिवहन, भंडारण अथवा बेचना अनुमत नहीं किया गया कि उनसे कोविड–19 संक्रमण हो सकता है। एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को अपने यहाँ लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों की समीक्षा करने तथा एफ.एस.एस.ए.आई के दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल निर्देशों को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कहा गया है कि वे लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद भी खाद्य कारोबारों के साथ अविवेकपूर्ण बरताव न करें।

राज्यों को दिए गए निर्देश निम्न लिंकों से देखे जा सकते हैं:

Link 1: https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2020/05/5eb13e07d8b40Letter_Steps_Business_COVID_05_05_2020.pdf

Link 2: https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2020/05/5eb3ba21c046eLetter_Clarification_Food_COVID_05_05_2020.pdf

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

मीडिया जानकारी के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा,

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

E: sharmaruchika.21@gmail.com